सुरेन्द्र / राज० सरकार

36/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो तामील
04/09/2025	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उप०/ वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस बयान प्रस्तुत किया कि वादी विगत 60 वर्षों से ख०न० 334 की रकबा 1.60 है० पर कब्जेकाश्त है तथा कब्जा रखा(?) के आधार पर वादी को उक्त भूमि पर मालिकाना हक हकूक हासिल हो गये है इसीलिए वादी को खातेदार घोषित किया जावे। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार वादी उक्त भूमि जो राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा खाते संख्या 1 मे दर्ज है पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तथा शेषभाग सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा स्वयं वर्ष 1998 से स्वयं को अतिक्रमी माना है। इस प्रकार सरकारी भूमि पर अविधिक कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते तथा कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर ले कम हो। फैसला पृथक से टंकित किया जाकर पत्रावली मे संलग्न हो। (हस्ताक्षर) 5/9/2025	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
36/2022	01/11/2022	04/09/2025

रेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज0।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए, 188 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री एस0टी0एच0 आब्दी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी द्वारा स्वयं वर्ष 1988 से स्वयं का अतिक्रमी माना है। इस प्रकार सरकारी भूमि पर अविधिक कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते तथा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। दावा खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 04.09.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

...ालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

...अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

...सीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

...ल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
.../2022	01/11/2022	04/09/2025

...द सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्दा तह० पीपल्दा ...ला कोटा।

बनाम

...जस्थान सरकार जरिए श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा ...ज०।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नं. 334 की रकबा 1.80 के पिता हैक्टर वाके माल मौजा पीपल्दा जो पूर्व में सिवाय चक बंजड भूमि थी जिसे वाहित कल्याणसिह व ने लाखो रुपये खर्च करके काबिले काश्त बनाया इस भूमि पर का के पिता स्व. श्री कल्याणसिह के समय से लगभग 60 वर्षों से भी अधिक कब्जे काश्त चली आ रही है तथा मौजूदा समय में उक्त कृषि आराजी पर काश्त करके अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। यह कि कब्जाए मुखालफाना के आधार पर कृषि आराजी खसरा नं. 334 की रकबा 1.60 हैक्टर पर मालिकाना हक हकूक हासिल हो आई है इसलिए वादी उक्त वाद के जरिये खुद को उक्त आराजी को खातेदार घोषित करवाने का कानूनी रूप से हकदार है। तथा प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी है, कि प्रतिवादी वादी को उक्त आराजी से बेदखल नही करें ना ही किसी किस्म की कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करें ना ही ऐसा कोई कृत्य प्रतिनिधियों से करवाये।

(अ) यह कि कृषि आराजी खसरा नं. 334 की रकबा 1.60 हैक्टर वाके भाल मौजा पीपल्दा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद कर दर्ज किया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादी को स्थायी रुप से निषेधित व निरोधित किया जावे कि प्रतिवादी वादी के उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में व काश्तकारी करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही ऐसा कोई कार्य अपने प्रतिनिधियों व अधिनस्थ कर्मचारियों से करवाये।

वादी की ओर से वाद श्री एस०टी०एच आब्दी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकिन किया गया। वाद दर्ज रजि० किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त। शामिल पत्रावली है।
तहसीलदार पीपल्दा की बिन्दूवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:—

1. ग्राम पीपल्दाकलां की आराजी ख०नं० 334 रकबा 1.60है०, भूमि पर वादी द्वारा अपना कब्जा काश्त बताया है इस पर पूर्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं पी—14 सम्वत् 2078 में 334 रकबा 7.99 है० में से 1.00है० भूमि सुरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह तथा सूरजकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत का भी ख०नं०

334 रकबा 7.99है0 में से 1.00है0 भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है। उक्त भूमि ख0नं0 334 रकबा 7.99है0 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 के अनुसार जो भूमि वादी के नाम पी—14 में चिन्हित थी उक्त भूमि का ख0नं0 894/334 रकबा 4.78है0 बन गया है जो उक्त भूमि को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित करने से बना है। उक्त भूमि ख0नं0 894/334 रकबा 4.78है0 किस्म बारानी द्वितीय वर्तमान जमाबन्दी 2074—77 के अनुसार खाता संख्या 290 में राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित हिस्सा पूर्ण राजकीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मौका स्थिति अनुसार तह0 भवन पीपल्दा के सटा हुआ है एवं तहसील भवन पीपल्दाकलां की बाउड्री ख0नं0 894/334 रकबा 4.78है0 पर सरकारी स्तर से की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन प्रस्तुत किया कि वादी विगत 60 वर्षों से ख0नं0 334 की रकबा 1.60है0 पर कब्जे काश्त है तथा कब्जाए मुखलफाना के आधार पर वादी को उक्त भूमि पर मालिकाना हक हकूक हासिल हो गये है इसलिए वादी को खातेदार घोषित किया जाये। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार वादी उक्त भूमि जो राजकीय प्रयोज्यनार्थ आरक्षित है तथा खाते संख्या 1 में दर्ज है पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तथा शेषभाग सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा स्वयं वर्ष 1988 से स्वयं का अतिक्रमी माना है। इस प्रकार सरकारी भूमि पर अविधिक कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते तथा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। निर्णय दिनांक 04.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा